न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
बईजलास श्री ए.एच.गौरी, आर0ए0एस0,

नम्बर मुकदमा रा.अपील 10/2017

अनवान :–

अनोपाराम पुत्र पांचाराम जाति नायक निवासी पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर

अपीलान्ट

–: बनाम :–

स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार, नोखा जिला बीकानेर

रेस्पोन्डेन्ट

::अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की तरफ से श्री दिनेश गहलोत एडवोकट
2. स्टेट की और से विभागीय प्रतिनिधि

–: निर्णय :– दिनांक 28.02.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार नोखा के आदेश दिनांक 28.12.2016 से व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि नायब तहसीलदार नोखा द्वारा विधि विरूद्ध अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करके फसल कुर्क करने का आदेश दिया गया है। जैर अपील आदेश कानून, न्याय, सिद्धान्त एवं प्रस्तुत रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः आदेश निरस्त किया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधिनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि ग्राम पांचू दक्षिण स्थित खसरा नम्बर 655/16 की 62 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि अपीलान्ट संवत् 2027 से काश्त करता आ रहा है। खेत में प्रार्थी की ढाणी, झोपड़े और पुराने घास के ढीगले मौजूद है जिसमें वह परिवार सहित निवास करता आ रहा है और प्रतिवर्ष काश्त करता है। अपीलान्ट गरीब नायक पुश्तैनी काश्तकार और भूमिहीन सद्भावी हरिजन कृषक है। परिवार का जीवन निर्वाह इसी भूमि की

अति. जिला कलक्टर
बीकानेर

Scanned by CamScanner

फसल व काश्त पर निर्भर है। भूमि को कड़ी मेहनत से उपजाउ व काबिल काश्त बनाया है। पुराने कब्जे काश्त भूमि का नियमन करने हेतु 1997 में आवेदन प्रस्तुत कर रखा है, जो उपखण्ड अधिकारी नोखा के यहां पेण्डिंग है। अपीलान्ट का प्रकरण विचाराधीन रहते हुवे नये सिरे से बेदखली की कार्यवाही की जाना न्यायौचित नहीं है। अपीलान्ट ने दिनांक 16.3.2017 को तहसील में पत्रावली का पता करवाया तो सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। प्रमाणित प्रति भी 21.3.2017 को प्राप्त हुई। प्रथम सूचना से अपील अन्दर मियाद मानकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2016 निरस्त फरमाया जावे एवं अपील स्वीकार की जाकर अपीलान्ट का 40–50 वर्षो पूर्व का पुराना कब्जा काश्त होने के आधार पर भूमि का नियमन किया जाकर उसे खातेदार टीनेन्ट राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि अपीलार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड अनुसार राजकीय बारानी भूमि पर बाजरी मौठ की काश्त तथा कब्जा बाड़ा कर अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमी को भौत्तिक रूप से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है, जो सही व विधि अनुरूप है। पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण 3.10.2016 को दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को नोटिस दिया गया, जो तामील होकर प्राप्त होने पर पत्रावली जवाब हेतु नियत की गई। अप्रार्थी असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं हुआ ना ही जवाब पेश किया गया। अतः अप्रार्थी को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल करके लगान का 50 गुणा आर्थिक दण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया। अपीलान्ट राजकीय भूमि का अतिक्रमी है एवं सरकारी भूमि को हड़पने के उद्धेश्य से अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी गैर मुमकीन गौचर पर अतिक्रमी का दोषी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया । प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपील के संलग्न मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुवे प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस तामील होने के उपरान्त अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुवे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2016 पारित किया गया है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम पांचू दक्षिण स्थित राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया हो। अपीलार्थी की ओर से भूमि नियमन के संबंध में चल रही कार्यवाही से संबंधित कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं हुआ। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2016 विधि सम्मत् होने के कारण हमें इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लिहाजा उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(एच. गौरी)
अति.जिला कलक्टर,(प्रशा.)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner